

दिनांक 10.9.15

नमस्कार मित्रों

पिछले दो दिनों से सचिवालय में जा कर 4 तारीख को वार्ता में सरकार एवं हमारे साथ बनी सहमति के बिन्दूओं पर आदेश जारी करवाने की कार्यवाही करने के कारण न तो आप लोगों के फोन अटेण्ड कर पा रहे थे एवं ना ही वॉट्सअप मैसेज ।

दोस्तों भौतिक सत्यापन को लेकर विभिन्न जिलों के जिला शिक्षाअधिकारियों ने अपने अपने हिसाब से आदेश निकाले – किसी ने दीवार पर लिखने को कहा, किसी ने चार साल की कैश बुक के लिए कहा, किसी ने ईपीएफ आदि की सूचना मँगी । जैसा कि हमने मंच से घोषणा की थी कि अप्रशिक्षित टीचर होने पर भी पुनः भरण नहीं रोका जायेगा एवं हम भौतिक सत्यापन के दौरान टीचर्स की चैकिंग ही नहीं करने देगे ।

कल हमने इसके आदेश जारी करवा दिए हैं जो आप अपनी वेबसाईट शिक्षा परिवार डॉट कॉम से डाउनलोड कर सकते हैं । दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है हमने आरटीई एवं गैर आरटीई प्रवेशित बालकों की एन्ड्री के लिए 15.9.2015 तक पोर्टल भी खुलवा दिया है तथा विद्वालय की सूचना अपडेट करने की सुविधा भी इस बार डलवा दी है । हाँ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप वास्तव में जो भी फीस ले रहे हैं उसी का सत्यापन करवाये न कि फीस कमेटी के आधार पर तय फीस या अधिकारियों के कहने से कोई फीस । क्योंकि इस बार सरकार भौतिक सत्यापन के आधार पर फीस मँगने के लिए दबाव बनायेगे न कि फीस कमेटी के आदेश के आधार पर । यदि कोई अधिकारी भौतिक सत्यापन में आपकी वास्तविक फीस नहीं लिखे तो आप हस्ताक्षर नहीं करे । हमें बता देवे हम दूसरे अधिकारी की व्यवस्था करवा देगे । कानून है इस बात का ।

मान्यता की जितनी भी पत्रालियॉ निदेशालय या डीईओज के यहाँ पैण्डिंग थी, उनको स्वयं शासन सचिव शिक्षा श्री गंगवार जी ने डीईओज को बात करके निदेशालय भेजने एवं हमारे बताये गए सुझावों के आधार पर निस्तारित करने के आदेश दिए हैं ।

हम रोज सचिवालय जा कर अपनी मँगो पर कार्यवाही का ख्याल रख रहे हैं ।

हेमलता शर्मा / अनिल शर्मा / श्रवण बोहरा व टीम

doNotcopy